राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2023 अपील

श्रीमती शारदा पत्नी सुरेश कुमार बनाम पुत्री श्री रामचन्द्र कोली निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाड़ा हाल मु. 10 जी सेक्टर तिलक नगर भीलवाड़ा

1. सीताराम खटीक पुत्र एकलिंग खटीक तिलक नगर रोड़, सूर्या फर्नीचर के सामने, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा
2. खेमचन्द पुत्र मांगी लाल कोली निवासी देव नारायण मंदिर के पास कोली मोहल्ला, भीलवाड़ा।
3. फतेह लाल पुत्र शंकर लाल कोली निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाड़ा
4. गणेश कुमार पुत्र शंकर लाल कोली निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल आर एक्ट 1956
अपील विरूद्व न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के नामान्तरण संख्या 1072/04–12–2021 को अपास्त कराये जाने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री मेहराज अली अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री भैरू लाल बापना अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.05.2024

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम केवाडा पटवार हल्का भीलवाड़ा में आराजी संख्या 737 रकबा 8 बिस्वा व आराजी संख्यां 738 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 453/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 462 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा है, में से कृषि भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त आराजियात स्वर्गीय चतरा उर्फ चतुर्भुज पुत्र सोजी कोली ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खातेदार अलादीन पिता कुका डबगर से खरीदकर कब्जा प्राप्त

विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजियात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 16.01.2006 को डिक्री पारित की गयी। डिक्री के आधार पर प्रश्नगत आराजी चतरा के वारिसान खेमचंद वगैरह के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। उक्त डिक्री के विरूद्व रामचंद्र कोली द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहां अपील पेश की गयी। जिसमें रामचंद्र कोली ने स्वयं को चतरा कोली का पुत्र बताया किन्तु न्यायालय ने उसे चेना का गोदपुत्र माना क्योंकि जमाबंदी संवत् 2033 में मु.केसी बेवा चेना कोली की विरासत से उसकी भूमि रामचंद्र मुत. चेना कोली के नाम पर दर्ज करने की मंजूरी नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 14.09.1971 से हुयी थी। इसके अलावा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास भीलवाडा के प्रकरण संख्या भू.अ./94/165/91 नगर विकास न्यास बनाम रामचंद्र मुत. चेना कोली में उसकी आराजी संख्या 1372 रकबा 1.01 बीघा भूमि अवाप्त की गयी, जिसका मुआवजा रामचंद्र मुत. चेना कोली के नाम से निर्धारित किया जाकर उसे दिया गया। इस आधार पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा ने रामचंद्र द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गयी, क्योंकि रामचंद्र चेना कोली के गोद चला गया था। राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 27.07.2006 के विरूद्व रामचंद्र ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जिसमें प्रकरण विचाराधीन रहते रामचंद्र की मृत्यु हो जाने से उसकी तथाकथित दत्तक पुत्री शारदा को बतौर अपीलाण्ट कायम किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने इस अपील को दिनांक 31.01.2024 को खारिज कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 31.01.2024 के निर्णय के विरूद्व शारदा कोली ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 3599/2024 प्रस्तुत की जिसमें किसी प्रकार का कोई स्टे जारी नहीं किया गया हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा में वादी डिक्रीदार खेमचंद पिता मांगीलाल कोली व अन्य द्वारा डिक्री के आधार पर प्रश्नगत आराजी संख्या 737, 738 को दिनांक 10.10.2019 को पंजीकृत विक्रयपत्र के द्वारा सीताराम खटीक पिता एकलिंग खटीक निवासी तिलक नगर रोड, सांगानेरी गेट भीलवाडा को विक्रय कर दिया गया, जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 1072 दिनांक 04.12.2021 को क्रेता सीताराम खटीक के नाम पर खोल दिया गया, जो राजस्व अभिलेख

.कोली के नाम से निर्धारित किया जाकर उसे दिया गया। इस आधार पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा ने रामचंद्र द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गयी, क्योंकि रामचंद्र चेना कोली के गोद चला गया था। इसके खण्डन में अपीलार्थी अधिवक्ता ने कोई पुख्ता प्रमाण अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया।

अपीलार्थीया ने गोदनामा के आधार पर रामचन्द्र कोली निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाडा के गोदपुत्री होने से अपील प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज कराना चाहती हैं। अपीलार्थीया के गोदपुत्र होने के प्रमाण में कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नही किया हैं।

नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय भीलवाडा के विरूद्व प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपीलार्थी की अपील सारहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने से अपील खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 1072/04.12.2021 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा